



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-44

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 252755 दिनांक 19/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

| क्र.सं. | आवेदक का नाम                                  | मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम  | भूखण्ड संख्या | भूखण्ड क्षेत्रफल | ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना | योजना का नाम                    | सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया   | कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज   |
|---------|---|--|---------------|------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1       | Lallu Prasad Sharma S/o Jagdish Prasad Sharma | श्री श्याम डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री लल्लू प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा | 23            | 266.66 SQ. YARD  | Private                                 | SHIV SHAKTI NAGAR Sector/Block- | Sub Division and Reconstitution | शिव शक्ति नगर के भूखण्ड संख्या 23 क्षेत्रफल 266.66 व.ग. की लीज डीड श्रीमती सुजा देवी पत्नी श्री दुलाराम जाट के पक्ष में दिनांक 18.03.2010 को जारी की गई है। उक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमती सुजा देवी द्वारा श्री मूलचन्द पुत्र श्री दुल्या को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.11.2022 के द्वारा बेचान किया गया है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान श्री मूलचन्द द्वारा श्री श्याम डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री लल्लू प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2025 के |



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | द्वारा बेचान किया गया है।<br>सीपीआरएमएस पर दर्ज रिकार्ड अनुसार निजी खातेदारी योजना शिव शक्ति नगर के भूखण्ड संख्या 23 क्षेत्रफल 266.66 व.ग. की लीज डीड श्रीमती सुजा देवी पत्नी श्री दुलाराम जाट के पक्ष में दिनांक 18.03.2010 जारी है। |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

### प्रतिलिपि:-

1. Lallu Prasad Sharma S/o Jagdish Prasad Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

### नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |